समक्ष माननीय राजस्व मण्डल, म.प्र. बेंच सागर

I/निगरानी/सागर/भू०रा०/2017/5194

पन्नालाल वल्द स्व. श्री जानकी प्रसाद कुर्मी
निवासी — ग्राम रेंगुवॉ, तहसील गढ़ाकोटा, जिला सागर

———पुनरीक्षणकर्ता

—बनाम्—

1. धनीराम वल्द रामशंकर कुर्मी
2. गिरधारी वल्द जानकी प्रसाद कुर्मी
3. बिहारी वल्द जानकी प्रसाद कुर्मी

सभी निवासी ग्राम रेंगुवॉ, तहसील गढ़ाकोटा, जिला सागर

———उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

पुनरीक्षणकर्ता, प्रथम अपीलीय न्यायालय श्रीमान एल.के.खरे, अनुविभागीय अधिकारी, रहली, जिला सागर द्वारा राजस्व अपील प्रकरण क्रमांक 50अ/6 वर्ष 2016–17 मौजा रेंगुवॉ, तहसील गढ़ाकोटा, जिला सागर में पारित आदेश दिनांक 31/08/2017 से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण नीचे लिखे तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत करता है —

—प्रकरण के तथ्य—

1. यह कि, भूमि खसरा नंबर 529/2 रकबा 0.15 हेक्टेयर पुनरीक्षणकर्ता के पिता जानकी प्रसाद वल्द दशरथ कुर्मी निवासी रेंगुवॉ, तहसील गढ़ाकोटा, जिला सागर के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि है। जानकी प्रसाद की मृत्यु के बाद यह भूमि आपसी बटवारे में पुनरीक्षणकर्ता को प्राप्त हुई है तथा इस पर वह बतौर मालिक काबिज है। पुनरीक्षणकर्ता के भाई गिरधारी व बिहारी को आपसी बंटवारे में अन्य भूमियां मिलीं हैं, तथा इस भूमि मे उनका कोई हक नहीं है, फिर भी पुनरीक्षणकर्ता के भाईयों गिरधारी व बिहारी को इस प्रकरण में पक्षकार बनाया है, क्योंकि आपसी बंटवारे के अनुसार अभी इस भूमि के खसरा इंद्राजों में सुधार नहीं हो पाया है।

2. यह कि, दिनांक 23/05/2017 को पुनरीक्षणकर्ता अपनी उक्त भूमि खसरा नंबर 529/2 की सफाई कर बखरनी कर रहा था कि, उत्तरवादी धनीराम कुर्मी ने पुनरीक्षणकर्ता को उसकी उक्त पूरी जमीन की बखरनी करने से रोका तथा कहने लगा कि इस जमीन में उसका भी हिस्सा है, जिसका सुधार नक्शे में हो चुका है, तो पुनरीक्षणकर्ता को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसकी पैत्रिक जमीन पर उत्तरवादी धनीराम का हक कैसे हो गया, यद्यपि पुनरीक्षणकर्ता ने पूरी जमीन पर बखरनी की, जैसे वह हर वर्ष करता चला आ रहा है और पटवारी से पूंछतांछ की तो वर्तमान पटवारी ने

(52)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/सागर/भू.रा./2018/4194 पन्नालाल विरूद्ध धनीराम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी रहली जिला सागर के प्रकरण क्रमांक 50अ/6 वर्ष 2016-17 में पारित आदेश दिनांक 31-08-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 16-10-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि	

4/1/19

	लेकर कलेक्टर सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर सागर के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । (आर.के. जैन) सदस्य	1.19